

Roll No.

18 SEP 2025

Total No. of Questions – 6

Total No. of Printed Pages – 24

Time Allowed – 3 Hours

FOUNDATION EXAM
PAPER - 2
BUSINESS LAWS



Maximum Marks – 100

JLX(H)

Answers to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium, his/her answers in Hindi will not be evaluated.

Question No. 1 is compulsory.

Answer any **four** questions from the remaining **five** questions.

Working notes should form part of the answers.

Candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions of the invigilators or having/using mobile phone or smart watch or any other electronic gadget will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive action.

Marks

1. (a) (i) Mr. VG and Mr. PG were trading in unlisted shares for the last 3 seven years. They used to borrow funds from each other whenever required for any trade. Within a week's time, they used to refund the money to each other as per circumstances of the case. They were following this practice for the last five years. On 25th January 2025, Mr. PG wants to buy 20,000 shares of an unlisted company @ ₹ 500/- each. But due to insufficiency of funds, he asked Mr. VG for ₹ 40 lakhs. Mr. VG transferred ₹ 40 lakhs to Mr. PG. After about three months, Mr. VG reminded that Mr. PG

JLX(H)

P.T.O.

(2)

JLX(H)

Marks

had not refunded ₹ 40 lakhs to him till then. He asked him to pay back his money. Mr. PG told him that he was trying very hard to sell the shares at a reasonable price of 10% more than the price at which he bought these shares but was unable to do so due to market conditions. He asked Mr. VG to sell his shares on his behalf and authorised him to appropriate the amount of loan of ₹ 40 lakhs with interest out of the sale proceeds. Mr. VG agreed to do so.

After about 15 days, when market started recovering Mr. PG denied and revoked the authorization by saying that he would sell his shares himself.

With reference to provisions of the Indian Contract Act, 1872, whether the revocation of said agency by Mr. PG was lawful ?

- (ii) M/s GS Famous General Store in NK Market Delhi got a purchase order of 5 kg. Mamra Badam @ ₹ 3,400/- per kg. from Mr. PK to deliver at his residence in Rohini. When the delivery boy of M/s GS Famous General Store reached at Mr. PK's residence, he found the door locked. When the delivery boy called him on mobile telephone, he told him to hand over the goods to his neighbour Mr. Shah. Mrs. Shah was unaware of the fact that the Mamra Badam were not belonging to them, mixed the Mamra Badam with California Almond. When Mr. Shah told her that the Mamra Badam were belonging to Mr. PK, she again packed the 5 kg. Mamra Badam and delivered it to Mr. PK. This fact came to light when Mr. PK returned the packet to M/s GS Famous General Store by saying that it is not up to the quality and he refused to accept the packet.

4

In above circumstances, what is the remedy available to Mr. PK according to provisions of the Indian Contract Act, 1872 ?

JLX(H)

- (b) Do you agree that a company is an artificial person ? Elucidate. Also explain how the authorization by M/s Beeta Limited, a company incorporated under the Companies Act, 2013 can be made in case it does not have a common seal. 5+2
=7
- (c) A, B and C are partners in an unregistered partnership firm named M/s ABC & Associates. Is the suit maintainable in the following cases as per the provisions of the Indian Partnership Act, 1932 ? Give justification also. 6
- (i) A filed a suit against B who had stolen the goods of the firm.
- (ii) A filed a suit against M/s ABC & Associates for claiming shares of the assets on its dissolution.
- (iii) M filed a suit against the firm M/s ABC & Associates for the recovery of ₹ 10,000/- dues from the firm. M also owed ₹ 4,000/- to the firm. The firm claimed a set off of ₹ 4,000/-.
2. (a) (i) X offered to sell Y a machine for ₹ 5,00,000/-. Y refused to buy it unless the machine is made into a running condition. X agreed to do the same but while the machine was being repaired, it was destroyed without the fault of any person. With reference to the relevant provisions of the Sale of Goods Act, 1930 examine whether X can recover the price from Y ? 4
- (ii) For the purpose of making uniforms for the employees, VK bought dark blue coloured cloth from PK. But did not disclose to the PK the purpose of the said purchase. When uniforms were prepared and used by the employees, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps and boots. Advise VK whether he is entitled to have any remedy, as per the provisions of the Sale of Goods Act, 1930. 3

(4)

JLX(H)

Marks

- (b) Explain the Memorandum of Association (MOA) and Articles of Association (AOA) of a company. Also explain any three differences between MOA and AOA. 7
- (c) Five close friends decided to form a Limited Liability Partnership firm 'EDUDED LLP' for educating poor children as non-profit organization. They were Mr. A (Non-resident), Mr. B (Non-Resident), Ms. C (resident), Ms. D (resident) and Ms. E (resident). It was decided that Mr. A and Mr. B will be appointed as designated partners. 6
- With reference to provisions of the Limited Liability Partnership Act 2008, answer each of the following:
- (i) Whether EDUDED LLP can be formed for above purpose ?
- (ii) Whether Mr. A and Mr. B can be appointed as designated partners in EDUDED LLP ?
3. (a) M/s M&M Associates was registered in 1985 by its three partners namely Mr. X, Mr. Y and Mr. Z as the partnership at will. On 5th January 2022, Mr. X, being a very senior partner of age 75 years decided to retire and transfer his shares in the firm to his grandson Mr. S, who was 17 years old at the time of the transfer. Mr. Y and Mr. Z were not interested but when they came to know that Mr. S is a minor, they agreed to admit Mr. S as partner. On 5th October, 2023 at the time of inspection of books and accounts, Mr. S noticed that the books of accounts were displaying only a small amount as profit despite a huge turnover. When, he asked other partners about this fact, then Mr. Y told him that one of the major clients, Mr. T refused to pay huge amount of fees. Mr. S decided to sue Mr. T for recovery of fees and sent a notice for the same. Mr. T argued that Mr. S cannot sue him because he has not given notice of remaining a partner on attaining majority. 7

JLX(H)

With reference to provisions of the Indian Partnership Act, 1932 decide :

- (i) Whether Mr. X can retire and introduce Mr. S (minor) as a partner ?
- (ii) Whether Mr. S has right to inspect books of accounts ?
- (iii) Whether Mr. S has authority to sue Mr. T, on non-payment of fees ?

- (b) Mr. RM was engaged in the trading of handloom items with his wife. 7
One of their friends suggested that they should form a private limited company. By corporatizing their business, they could gain better recognition and even explore export opportunities.

They established M/s RM Private Limited with both as the sole members. They got the work orders on job basis from local artisans, sold their products in the Indian market, and exported them as well. The company also secured a line of credit from the bank amounting to ₹ 30 lakhs.

Tragically, Mr. RM met with an accident and passed away. Now Mrs. RM was the only member in the private limited company. A family friend suggested including her brother as a member, but she declined. Instead, she decided to convert the private limited company into a One Person Company (OPC) and nominate her brother, Mr. AK, who is currently employed in London, UK.

Examine with reference to the Companies Act, 2013:

- (i) Whether Mrs. RM's decision to convert the private limited company into a One Person Company (OPC) is legally valid; and
- (ii) When Mrs. RM's decision to nominate her brother Mr. AK, as a nominee, is not legally valid ?

(6)

JLX(H)

Marks

- (c) A, B, and C act as co-sureties for a loan of ₹ 4,00,000/- taken by R from XYZ Bank. There are three bonds specifying different liability limits for each surety such as A's liability is limited to ₹ 1,00,000/-, B's liability is limited to ₹ 2,00,000/- and C's liability is limited to ₹ 4,00,000/-. Due to financial difficulties, R defaults on the loan, and the bank seeks to recover the amount from the sureties. 6

As per the provisions of the Indian Contract Act, 1872,

- (i) Analyse and determine the amount each co-surety (A, B, and C) is liable to pay, and
 - (ii) What will be your answer if the loan amount is ₹ 6,00,000/- instead of ₹ 4,00,000/- ?
4. (a) With reference to provisions of the Indian Contract Act, 1872, analyse the given situations and answer each of the following questions :

- (i) Mr. X visited a Cosmo Mega Mall at Nagpur, which has a variety of items for day-to-day use. The mall has a self-service system. Mr. X took a basket, picked up ten different items of his choice, and reached the cashier for payments. The cashier accepted the price of nine items but did not accept the price of remaining one item which was at the highest price of ₹ 10,050/- among the ten items. 4

Decide as per the provisions of the Indian Contract Act, 1872 whether the Cosmo Mega Mall be compelled to sell the said article to Mr. X.

JLX(H)

- (ii) Mr. AT completed his M. Tech. qualification in April 2022. He got married with Ms. Priya in November 2022. He got an appointment as Technical Consultant in a very renowned company in USA on 2nd February 2023. He promised his wife that he will send ₹ 30,000/- per month for her daily routine expenses. Mr. AT went to USA on 25th October 2023. He never sent any money to his wife. Mrs. Priya was not in a position to meet her daily expenses. She was facing severe financial issues regarding rent and other maintenance expenses. On 20th March 2024 during her telephonic discussion with Mr. AT, she came to know that he would never send her money. Due to her financial hardships, she decided to file a suit against him for ₹ 7,50,000/-. Whether Mrs. Priya would be able to recover the above amount according to provisions of the Indian Contract Act, 1872 ? 3
- (b) "Negotiable Instruments is an instrument which is freely transferable from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery." Classify the different types of Negotiable instruments according to manner in which it is made as per the provisions of the Negotiable Instrument Act, 1881. 7
- (c) Define Law and explain various sources of Law. 6
5. (a) (i) Ms. S visits an electronic store and asks for a laptop suitable for high-end graphic design work. The salesman recommends a specific model, assuring her that it will meet her needs. Relying on this advice, Ms. S purchases the laptop. However, after using it, she realises that the laptop lacks the necessary processing power and graphics capability for her work. 3
- Can Ms. S take legal action against the seller under the Sale of Goods Act, 1930 ? Justify your answer.

- (ii) Mr. S was going through severe financial hardships. His wife suggested to take a gold loan. On 15th January 2025, he pledged his wife's jewellery worth ₹ 30 lakhs with one of his friend Mr. R and took a loan of ₹ 25 lakhs. On 17th January 2025, he sold total jewellery for ₹ 28 lakhs to M/s RL Jewellers Pitampura. The jeweller purchased it in good faith without knowing the fact that the jewellery was already pledged. After all this, Mr. S declared himself insolvent. When Mr. R came to know about this, he filed a suit against M/s RL Jewellers. But M/s RL Jewellers contended that they were unaware about pledge. With reference to provisions of the Sale of Goods Act, 1930 what is the remedial action available to Mr. R ? 4
- (b) (i) M/s SR Enterprises is a well-known trading firm. Mr. AM, a former partner of the firm, had retired in 2022 but never made any public announcement about his retirement. In 2024, Mr. R, a supplier, entered into a business transaction with M/s SR Enterprises believing that Mr. AM was still a partner in the firm. He relied on Mr. AM's past association with the firm and extended a credit line to the firm. When M/s SR Enterprises defaulted on payment, Mr. R, demanded that Mr. AM also be held liable for the dues. Mr. AM refused, stating that he was no longer a partner in the firm and had no involvement in the firm's affairs for long time. Examine with reference to the provisions of the Indian Partnership Act, 1932 whether Mr. AM can be held liable for the firm's above debt. 3

- (ii) M/s LMP & Associates, a partnership firm engaged in carpet manufacturing and exporting, was initially managed by senior partners L, M, and P. On 25th August, 2022, the firm admitted Mr. G, an expert in carpet manufacturing, as a partner. However, on 10th January, 2024, Mr. G was accused of unauthorized activities and subsequently expelled from the partnership with the unanimous approval of the remaining partners. 4

With reference to the provisions of the Indian Partnership Act, 1932, answer each of the following:

- (1) Examine whether action by the partners was justified or not ?
- (2) What are the factors which should be kept in mind prior to expelling a partner from the firm by other partners ?

- (c) State with reference to the provisions of the Indian Contract Act, 1872 whether the following are True or False with justification. 6

- (i) The pledge of documents of title to goods by a mercantile agent with the consent of an owner is invalid pledge.
- (ii) A appoints B as his agent to sell A's land. Subsequently, under the authority of A, B appoints C as his agent. Later on, A revokes the authority of B, but not that of C. Consequently, the authority of C cannot be terminated.
- (iii) The contract of life insurance is not fully covered under the contract of indemnity.

6. (a) (i) Mr. K draws a bill of exchange payable 60 days after sight to Mr. J. Mr. J holds the bill for 30 days before presenting it to Mr. N, the drawee, for acceptance. Mr. N accepts the bill upon presentation. Decide as per the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881, when does the maturity period of the bill commence ? 3
- (ii) A promissory note is made payable at a specific place on a fixed date. The holder, Mr. Mohan presents the note for payment two days after the due date because of unforeseen circumstances. Decide each of the following as per the provisions of the Negotiable Instruments Act, 1881 :
- (A) Does the delay in presentation affect Mr. Mohan's right to recover the amount ? 2
- (B) Under what circumstances can a delay in presentation be excused according to the Act. 2
- (b) Consent is said to be free when it is not caused by 'Fraud'. According to provisions of the Indian Contract Act, 1872, answer each of the following : 6
- (i) What do you mean by 'Fraud' ?
- (ii) What would be effect of fraud upon validity of a contract and state the instances in which a contract is not voidable ?

OR

JLX(H)

- (b) What is the meaning of the term Quantum Meruit ? Explain any four cases in which a claim for quantum meruit can arise. 6
- (c) Contract of sale resembles with contracts of hire-purchase. However, sale is distinguished from hire-purchase. Explain hire-purchase agreement and state any five points of distinction between Sale and Hire-purchase. 7

(Hindi Version)

उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने हिन्दी माध्यम चुना है, प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही देने हैं।

वह परीक्षार्थी जिसने हिन्दी माध्यम नहीं चुना है, यदि हिन्दी में उत्तर देता है,

तो उसके हिन्दी में दिये गये उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा।

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

कार्य टिप्पणियाँ (Working Notes) उत्तर का भाग होनी चाहिए।

कोई भी विद्यार्थी यदि नकल करते हुए या मदद प्राप्त करते हुए या देते हुए या परीक्षक के निर्देशों की

अवहेलना करते हुए या मोबाइल फोन रखे हुए या इस्तेमाल करते हुए या स्मार्ट घड़ी या कोई अन्य

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया

जाएगा और साथ ही दण्डिक कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Marks

1. (a) (i) मि. वीजी और मि. पीजी विगत सात वर्षों से असूचीबद्ध अंशों में व्यापार कर रहे थे। जब भी किसी व्यापार के लिए धन की आवश्यकता होती, तो वो एक-दूसरे से उधार लेते रहते थे। मामले की परिस्थितियों के अनुसार वो एक सप्ताह के समय के अन्दर एक-दूसरे को धन की वापसी कर देते थे। विगत पाँच वर्षों से वो इस व्यवहार का अनुसरण कर रहे थे। 25 जनवरी, 2025 को मि. पीजी एक असूचीबद्ध कम्पनी के 20,000 अंश ₹ 500/- प्रति अंश की दर से खरीदना चाहता है। कोषों की अपर्याप्तता होने की वजह से उसने मि. वीजी से ₹ 40 लाख की राशि देने को कहा। मि. वीजी द्वारा ₹ 40 लाख मि. पीजी को अंतरित कर दिए गए। लगभग तीन माह बाद मि. वीजी ने मि. पीजी को ध्यान दिलाया कि आज तक भी उसने ₹ 40 लाख की राशि उसे वापस नहीं लौटायी है। उसने उससे पैसा वापस देने को कहा। मि. पीजी द्वारा उसे बताया गया कि वह अपने अंशों को खरीदे गए मूल्य से 10% अधिक उचित मूल्य पर बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन बाज़ार की स्थिति के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ है। उसने अपने स्वयम् की ओर से मि. वीजी

3

JLX(H)

से अपने अंश बेचने के लिये कहा और विक्रय से प्राप्त राशि में से ₹ 40 लाख के ऋण और उस पर ब्याज सहित को नियोजित करने के लिए मि. वीजी को अधिकृत कर दिया। मि. वीजी ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दे दी।

लगभग 15 दिन के बाद जब बाज़ार की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ, तब मि. पीजी द्वारा अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया तथा अपने द्वारा दी गई अधिसत्ता का यह कहते हुए खण्डन कर दिया गया कि वह अपने अंशों का स्वयं विक्रय करेगा।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के संदर्भित प्रावधानों के अनुसार बताइए कि क्या मि. पीजी द्वारा इस एजेन्सी का खण्डन करना क्या न्यायोचित होगा ?

- (ii) मैसर्स जीएस फेमस जनरल स्टोर जो कि एनके बाज़ार दिल्ली में स्थित है 4
उसने मि. पीके से 5 किलोग्राम मामरा बादाम का ₹ 3,400/- प्रति किलोग्राम की दर से क्रयदेश प्राप्त किया जिसकी सुपुर्दगी उसे रोहिणी में उसके निवास स्थान पर देनी है। जब मैसर्स जीएस फेमस जनरल स्टोर का सुपुर्दगी देने वाला लड़का मि. पीके के निवास स्थान पर पहुँचा, तो उसने पाया कि दरवाजा बन्द था। जब सुपुर्दगी देने वाले लड़के ने इस बारे में उससे मोबाइल टेलीफोन पर पूछा, तब उसने उससे कहा कि माल उसके पड़ोसी मि. शाह को सुपुर्द कर दिया जाए। श्रीमती शाह इस तथ्य से अनभिज्ञ थी कि ये मामरा बादाम उनका माल नहीं है, उसने मामरा बादाम को कैलिफोर्निया बादाम में मिला दिया। जब मि. शाह के द्वारा उसे यह बताया गया कि मामरा बादाम मि. पीके का माल है, उसने 5 किलोग्राम मामरा बादाम को पुनः पैक कर दिया और श्री पीके को इसकी सुपुर्दगी दे दी। यह तथ्य तब प्रकाश में आया जब मि. पीके द्वारा मैसर्स जीएस फेमस जनरल स्टोर को पैकिट यह कहते हुए लौटाया गया कि माल गुणवत्ता के अनुसार नहीं है और उसने पैकिट को स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया।

उपरोक्त परिस्थितियों में, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार मि. पीके को क्या उपचारात्मक कार्रवाई उपलब्ध है ?

(b) क्या आप इससे सहमत हैं कि कम्पनी एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है ? व्याख्या कीजिए । इसके साथ यह भी स्पष्ट कीजिए कि मैसर्स बीटा लिमिटेड जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निगमित है के द्वारा सामान्य मुहर नहीं होने की स्थिति में इसका प्राधिकरण किस प्रकार से किया जायेगा ।

5+2
=7

(c) ए, बी और सी, मैसर्स एबीसी एण्ड एसोसियेट्स नामित गैर-पंजीकृत फर्म में साझेदार हैं । भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अनुसार बताइए कि क्या निम्न परिस्थितियाँ दावा करने के योग्य हैं ? न्यायोचित कारण भी दीजिए ।

6

(i) 'बी' जिसने फर्म से माल चुराया उसके विरुद्ध 'ए' द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया ।

(ii) मैसर्स एबीसी एण्ड एसोसियेट्स के विघटन पर सम्पत्ति में अपने हिस्से के अधिकार हेतु 'ए' द्वारा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया ।

(iii) मैसर्स एबीसी एण्ड एसोसियेट्स फर्म पर देय ₹ 10,000/- की राशि की वसूली के लिए 'एम' द्वारा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया । 'एम' भी फर्म का ₹ 4,000/- का ऋणी है । फर्म द्वारा ₹ 4,000/- की राशि के निस्तारण का दावा किया गया ।

2. (a) (i) एक्स द्वारा वाई को ₹ 5,00,000/- में एक यंत्र (मशीन) को विक्रय करने का प्रस्ताव दिया गया । वाई ने यंत्र (मशीन) को क्रय करने से तब तक मना कर दिया जब तक कि यंत्र (मशीन) को चलने योग्य स्थिति में न ला दिया जाए । एक्स ऐसा करने के लिए सहमत हो गया लेकिन जब यंत्र (मशीन) की मरम्मत की जा रही थी तब बिना किसी व्यक्ति की गलती से यह नष्ट हो गई । भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के संदर्भित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कीजिए कि क्या एक्स, वाई से मूल्य वसूल कर सकता है ?

4

- (ii) कर्मचारियों हेतु वर्दी बनाने के उद्देश्य से वीके द्वारा पीके से गहरे नीले रंग के वस्त्र की खरीद की गई लेकिन उसने पीके को अपने इस क्रय उद्देश्य को प्रकट नहीं किया। जब वर्दी तैयार हो गई और कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में ली गई तब इस कपड़े को अनुपयुक्त पाया गया। जबकि इस बात के प्रमाण थे कि यह कपड़ा टोपी और जूते बनाने के लिए उपयुक्त था। वीके को सलाह दीजिए कि क्या वह वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के अनुसार कोई उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। 3
- (b) एक कम्पनी के पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम को स्पष्ट कीजिए। पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम में कोई तीन अन्तर भी स्पष्ट कीजिए। 7
- (c) पाँच घनिष्ठ दोस्तों द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अलाभकारी संगठन के रूप में एड्यूड एलएलपी (EDUDED LLP) सीमित देयता भागीदारी फर्म बनाने का निर्णय किया गया उनमें मि. ए (अनिवासी), मि. बी (अनिवासी), सुश्री सी (निवासी), सुश्री डी (निवासी) और सुश्री ई (निवासी) हैं। यह निश्चित हुआ कि मि. ए और बी की नियुक्ति नामित भागीदार के रूप में होगी। सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए : 6
- (i) क्या उपरोक्त उद्देश्य हेतु एड्यूड एलएलपी (EDUDED LLP) का गठन किया जा सकता है ?
- (ii) क्या मि. ए और मि. बी को एड्यूड एलएलपी (EDUDED LLP) में नामित भागीदार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ?

3. (a) मैसर्स एम एण्ड एम एसोसियेट्स तीन भागीदारों जिनका नाम मि. एक्स, मि. वाई और मि. जेड है, के द्वारा ऐच्छिक साझेदारी के रूप में 1985 में पंजीकृत की गई। 5 जनवरी, 2022 को एक वरिष्ठ भागीदार मि. एक्स द्वारा अपनी उम्र 75 वर्ष होने के कारण फर्म से सेवानिवृत्ति लेने का निश्चय किया और अपने हिस्से को अपने पोते मि. एस को हस्तान्तरण कर दिया जो कि हस्तान्तरण के समय 17 वर्ष का था। मि. वाई और मि. जेड की इसमें रुचि नहीं थी लेकिन जब उनकी जानकारी में यह आया कि मि. एस एक अवयस्क है, वो मि. एस को भागीदारी में प्रवेश देने के लिए सहमत हो गए। 5 अक्टूबर, 2023 को पुस्तकों और खातों का निरीक्षण करने पर मि. एस ने देखा कि लेखा पुस्तकें बड़ा आवर्तन प्रदर्शित करते हुए भी अल्प लाभ प्रदर्शित कर रही हैं। जब उसने दूसरे भागीदारों से इस तथ्य के बारे में पूछा तब मि. वाई द्वारा उसे बताया गया कि उसके एक प्रमुख ग्राहक, मि. टी द्वारा भारी मात्रा में शुल्क की राशि का भुगतान करने से मना कर दिया गया है। मि. टी से फीस की वसूली करने हेतु मि. एस द्वारा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का निश्चय किया और इस आशय की एक सूचना (नोटिस) उसे प्रेषित कर दिया। मि. टी द्वारा तर्क दिया गया कि मि. एस उस पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि उसके द्वारा वयस्कता प्राप्त करने की सूचना शेष साझेदारों को नहीं दी गई।

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अनुसार निर्णित कीजिए :

- (i) क्या मि. एक्स सेवानिवृत्ति ले सकता है और मि. एस (अवयस्क) को साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश दिला सकता है ?
- (ii) क्या मि. एस को लेखा पुस्तकों के निरीक्षण करने का अधिकार है ?
- (iii) क्या मि. एस, मि. टी पर शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है ?

- (b) मि. आरएम अपनी पत्नी के साथ हैण्डलूम वस्तुओं (items) का व्यापार करने में संलग्न है। उनके एक दोस्त द्वारा सुझाव दिया गया कि उनको एक निजी कम्पनी का निर्माण करना चाहिए। अपने व्यवसाय को निगमित करके वो ज्यादा मान्यता प्राप्त कर सकते हैं और निर्यात के अवसरों की खोज भी कर सकते हैं।

उनके द्वारा मैसर्स आरएम प्राइवेट लि. की स्थापना की गई जिसमें कि वो दोनों एकल सदस्य थे। उनके द्वारा स्थानीय कारीगरों (शिल्पियों) से कार्य के आधार पर आदेश प्राप्त किए गए और भारतीय बाज़ार में अपने उत्पादों का विक्रय किया और इसके साथ निर्यात भी किया। कंपनी ने बैंक से ₹ 30 लाख की लाइन ऑफ़ क्रेडिट भी ले ली।

दुखद रूप से मि. आरएम के साथ दुर्घटना घटित हुई और उसका निधन हो गया। अब श्रीमती 'आरएम' इस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में केवल एक ही सदस्य रह गई। एक पारिवारिक मित्र द्वारा सुझाव दिया गया कि वह अपने भ्राता को सदस्य के रूप में सम्मिलित कर ले लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बजाय उसने प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को एकल व्यक्ति कम्पनी (ओपीसी) के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया और अपने भ्राता मि. एके को नामित कर दिया गया जो कि वर्तमान में लन्दन (यू.के.) में नियोजित (कार्यरत) हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में परीक्षण कीजिए :

- (i) क्या श्रीमती आरएम द्वारा प्राइवेट लि. को एकल व्यक्ति कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय वैधानिक रूप से वैध है ? और
- (ii) श्रीमती आरएम द्वारा अपने भ्राता मि. एके को नामित करने का निर्णय कब वैध नहीं होगा ?

JLX(H)

6

- (c) आर द्वारा एक्स वाई जेड बैंक से लिए गए ₹ 4,00,000/- के ऋण के लिए ए, बी, सी ने सह-प्रत्याभूति दी है। प्रत्येक जमानतदार के लिए अलग-अलग देयता निर्दिष्ट करने वाले तीन अलग बॉण्ड हैं, जैसे कि 'ए' की देयता ₹ 1,00,000/- तक सीमित है, 'बी' की देयता ₹ 2,00,000/- तक सीमित है और 'सी' की देयता ₹ 4,00,000/- तक सीमित है। वित्तीय पेशानी के कारण आर ऋण को चुकाने में विफल रहा और बैंक द्वारा प्रतिभूओं से राशि वसूल करने का प्रयास किया गया।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार

- (i) विश्लेषण और निश्चित कीजिए कि प्रत्येक सह-प्रतिभू (ए, बी और सी) का कितनी राशि के भुगतान का दायित्व होगा ?
- (ii) यदि ऋण की राशि ₹ 4,00,000/- के बजाय ₹ 6,00,000/- हो तो आपका उत्तर क्या होगा ?

4. (a) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निम्न दी गई स्थितियों का विश्लेषण कीजिए और निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए :

- (i) मि. 'एक्स' नागपुर में कोसमो मेगा माल में गया जो कि दिन-प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली विभिन्न तरह की चीजें (आइटमस) रखता है। 'माल' में स्वयं-सेवा प्रणाली है। मि. 'एक्स' ने एक टोकरी ली तथा अपनी पसन्द की दस विभिन्न तरह की चीजों (आइटमस) का चयन किया और भुगतान करने के लिए रोकड़िये के पास पहुँचें। रोकड़िये द्वारा नौ चीजों (आइटमस) का मूल्य स्वीकार कर लिया लेकिन शेष एक चीज (आइटम) का मूल्य स्वीकार नहीं किया जो कि दस चीजों में से अधिकतम मूल्य ₹ 10,050/- की थी।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निर्णित कीजिए कि क्या कोसमो मेगा माल को इस वस्तु को मि. 'एक्स' को विक्रय करने के लिए बाध्य किया जा सकता है ?

JLX(H)

- (ii) मि. एटी ने अपनी एम. टेक योग्यता अप्रैल 2022 में पूरी की। नवम्बर 2022 में उसकी मिस. प्रिया से शादी हो गई। 2 फरवरी, 2023 को उसे यूएसए की एक नामी कम्पनी में तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्ति का पत्र मिला। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि उसके नित्य प्रतिदिन के खर्चों के लिए ₹ 30,000/- प्रति माह की राशि प्रेषित करेगा। 25 अक्टूबर, 2023 को मि. एटी यूएसए चला गया। उसने अपनी पत्नी को कभी भी धनराशि नहीं भेजी। मिसेज प्रिया अपने दैनिक खर्चों की पूर्ति करने में असमर्थ थी। वह किराया और अन्य देखभाल के खर्चों के लिए कई वित्तीय मुद्दों का सामना कर रही थी। 20 मार्च, 2024 को मि. एटी से टेलीफोन द्वारा वार्तालाप से उसने पाया कि वह उसे कभी भी धनराशि नहीं भेजेगा। वित्तीय कठिनाइयों के कारण उसने उसके विरुद्ध ₹ 7,50,000/- की राशि का वाद प्रस्तुत करने का निर्णय किया। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार बताइए कि क्या मिसेज प्रिया उपरोक्त राशि को वसूल करने में समर्थ होगी ?
- (b) “परक्राम्य लिखत एक लिखत है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल हस्तांतरण या पृष्ठांकन और हस्तांतरण द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तान्तरणीय है।”
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में वर्गीकृत किए गए विभिन्न परक्राम्य लिखत के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए।
- (c) कानून को परिभाषित कीजिए और कानून के विभिन्न स्रोतों को भी स्पष्ट कीजिए।

(c) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायोचित रूप से सत्य या असत्य है :

6

- (i) व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा स्वामी की सहमति से माल के स्वत्व प्रलेख को गिरवी रखना एक अवैध गिरवी है ।
- (ii) 'ए' ने अपनी भूमि के विक्रय के लिए 'बी' को अपना अभिकर्ता नियुक्त किया । इसके बाद 'ए' की अधिकार सीमा में 'बी' ने 'सी' को अपना अभिकर्ता नियुक्त किया । उसके बाद 'ए' द्वारा 'बी' की अधिकार सत्ता का खण्डन कर दिया गया लेकिन 'सी' की नहीं । परिणामस्वरूप 'सी' की अधिकार सत्ता निस्तारित नहीं की जा सकती ।
- (iii) जीवन बीमा के अनुबन्ध पूरी तरह से क्षतिपूर्ति अनुबन्धों में कवर नहीं होते हैं ।

6. (a) (i) मि. 'के' ने मि. जे पर 60 दिन की देय अवधि देखने (Sight) के बाद का एक विनिमय बिल लिखा । मि. 'एन' अदाकर्ता को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व मि. जे ने 30 दिन तक इस बिल को अपने पास रखा । मि. 'एन' ने बिल के प्रस्तुतीकरण पर स्वीकृति दे दी । विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार निर्णित कीजिए कि बिल की परिपक्वता अवधि कब से शुरू होगी ?

3

- (ii) एक वचनपत्र जो कि एक निश्चित स्थान पर निश्चित दिनांक को देय है । मि. मोहन द्वारा अप्रत्याशित परिस्थितियाँ होने के कारण इस वचनपत्र को देय अवधि से दो दिन बाद में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया ।

विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार निम्न में से प्रत्येक को निर्णित कीजिए कि -

- (A) क्या बिल का देरी से प्रस्तुतीकरण मि. मोहन के राशि वसूल करने के अधिकार को प्रभावित करेगा ? 2
- (B) अधिनियम के अनुसार, किन परिस्थितियों में स्वीकृति या भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण में देरी के लिए माफ किया जा सकता है । 2
- (b) सहमति स्वतंत्र तब होगी जब वह 'धोखाधड़ी' से प्रेरित न हो । भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अनुसार निम्न में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए : 6
- (i) 'धोखाधड़ी' से आप क्या समझते हैं ?
- (ii) अनुबन्ध की वैधता पर धोखाधड़ी के क्या प्रभाव होंगे और उन मामलों का उल्लेख कीजिए जिनमें अनुबन्ध व्यर्थनीय नहीं होता ?

अथवा

- (b) उचित मात्रा राशि (क्वांटम मेरिट) की शब्दावली से आपका क्या अभिप्राय है ? 6
- कोई भी ऐसी चार स्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनमें उचित मात्रा / राशि (क्वांटम मेरिट) का दावा उत्पन्न होता है ।
- (c) विक्रय अनुबन्ध, किराया-क्रय अनुबन्ध के समरूप प्रतीत होते हैं यद्यपि विक्रय को किराया-क्रय से विभेद किया जाता है । किराया-क्रय समझौते का वर्णन कीजिए और विक्रय एवं किराया-क्रय समझौते में अन्तर के किन्हीं पाँच बिन्दुओं का उल्लेख कीजिए । 7